न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 34/2022

बउनवान

श्रवणलाल पुत्र पृथ्वीराज, जाति मीणा, निवासी मेलखेडी, तहसील बारां, जिला बारां (राज0)

(प्रार्थी)

बनाम

1. चन्द्रकलां पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नि मुकेश, जाति मीणा, निवासी पचेलखुर्द हाल निवासी निवासी अस्पताल रोड, बारां
2. अंजना पुत्री रामरतन पत्नि रामपाल, जाति मीणा निवासी तिसाया हाल निवासी दुर्गा विहार वार्ड नंबर 25 अटरू रोड, बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक (प्रार्थी)

2. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक– 20.01.2023

1– प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वाद संख्या 85/17 बउनवान श्रवणलाल बनाम चन्द्रकलां वगैरह न्यायालय उपजिला कलक्टर, बारां में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय से प्रार्थी को प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण की उम्मीद नही है। विचारण न्यायालय प्रकरण में 8–8 दिन की तारीख पेशियां नियत कर रहे हैं। प्रार्थी को विचारण न्यायालय से प्रकरण को खारिज करने की स्पष्ट उम्मीद है। अप्रार्थीया कम 1 राजनैतिक महिला है तथा पीठासीन अधिकारी से मिली हुई है, जिससे प्रार्थी को प्रकरण के न्यायेचित निस्तारण की कतई उम्मीद नही है। अतः उक्त प्रकरण वाद संख्या 85/17 बउनवान श्रवणलाल बनाम चन्द्रकलां वगैरह को न्यायालय उपजिला कलक्टर, बारां से बारां जिले के किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बारां को प्रार्थना पत्र मेमो की प्रति भेजकर बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी।

अप्रार्थी कम 1, 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा न्यायालय उपजिला कलक्टर, बारां से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

अभिभाषक अप्रार्थीगण कम 1, 2 ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया तथा सीधे बहस करना चाहा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां की बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप सारहीन, तथ्यहीन एवं सरासर गलत हैं। उक्त उनवानी प्रकरण दिनांक 28.11.2022 से अन्तिम बहस में विचाराधीन है। दिनांक 29.11.2022 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.24 11:03:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा 023 नियम 1 एवं धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय उपजिला कलक्टर, बारां द्वारा 08.12.2022 को खारिज किया गया तथा आगामी दिनांक 19.12.2022 अन्तिम बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 19.12.2022 को वादी के अधिवक्ता श्री ओम मेहता II द्वारा बताया कि माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र किसी अन्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मैं इस प्रकरण में अधिवक्ता नही हूं, इसलिए बहस नही कर सकता। प्रकरण अन्तिम बहस में विचाराधीन है। वादी अधिवक्ता प्रकरण में बहस न करके प्रकरण को लम्बा करना चाहता है। प्रार्थी उक्त वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करवाना चाहता है जिसमें इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय उपजिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण में 8–8 दिन की तारीख पेशियां नियत की जा रही है। अप्रार्थीया कम 1 राजनैतिक महिला है तथा पीठासीन अधिकारी से मिली हुई है, जिससे प्रार्थी को प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण की कतई उम्मीद नही है। अतः उक्त प्रकरण वाद संख्या 85/17 बउनवान श्रवणलाल बनाम चन्द्रकलां वगैरह को न्यायालय उपजिला कलक्टर, बारां से बारां जिले के किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने ऐसे किसी उचित कारण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है जिससे प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित हो। प्रकरण माह नवम्बर 2022 से बहस के स्तर पर विचाराधीन है। वादी अधिवक्ता प्रकरण में बहस नहीं कर अनावश्यक सीपीसी के विभिन्न नियमों के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर रहे हैं तथा निर्णय को विलम्बित करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया जिससे साबित हो कि पीठासीन अधिकारी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के प्रभाव में हों। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.24 11:03:41 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां